

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ।

विज्ञापित

पारिवारिक न्यायालय लखनऊ हेतु परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 28/2020/1419/न्याय-2-2020-153G/2019 दिनांक 13.10.2020 के क्रम में नियुक्त परामर्शदाताओं जिनको माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 12530/ S.F.C.M. सेल इलाहाबाद दिनांक 22.09.2023 में संदर्भित शासनादेश 1094/सात-न्याय-2/2023-10 जी / 2022 दिनांक दिसम्बर 11, 2023 के अन्तर्गत 03 वर्ष के कार्यकाल की वृद्धि दी गयी थी, के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 7659 / S.F.C.M. Cell / Allahabad दिनांक 14.09.2026 के अनुपालन में पारिवारिक न्यायालय लखनऊ में परामर्शदाताओं के रिक्त होने वाले 02 पदों पर नियुक्ति होनी है। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 102 / सात-न्याय-2/2015-728/86 दिनांक जून 12, 2015 में संदर्भित अधोवर्णित अर्हता धारकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1- आवेदक यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोवैज्ञानिक में से किसी एक विषय में स्नातक हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कॉउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

2- आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 से 65 वर्ष के मध्य हो। जो आवेदक लखनऊ जनपद का निवासी है को वरीयता दी जायेगी।

3- परामर्शदाताओं का कार्यकाल प्रारम्भ से 03(तीन) वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिये उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

4- परामर्शदाताओं के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

5- आवेदक इस आशय का शपथ पत्र/घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि पारिवारिक न्यायालय के किसी भी वाद में पक्षकार नहीं है और न ही किसी वाद में अधिवक्ता के रूप में नियुक्त / सम्बद्ध हैं।

6- नियुक्त परामर्शदाताओं को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	परामर्शदाताओं के रिक्त पदों की संख्या
1	प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लखनऊ (ओल्ड एल.डी.ए भवन परिसर, लालबाग लखनऊ)	02

उक्त पदों हेतु जो पुरुष अथवा महिला इच्छुक हो, अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 15.10.2026 तक प्रशासनिक कार्यालय पारिवारिक न्यायालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

(पंकज मिश्र)

प्रधान न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1- प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय लखनऊ को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- उपसाध्यपाल, पारिवारिक न्यायालय लखनऊ को उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय पारिवारिक न्यायालय लखनऊ के नोटिस बोर्ड पर सेण्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन, पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन लखनऊ व न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

3- जिला सूचना अधिकारी लखनऊ को स्थानीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

4- सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग- जनपद न्यायालय, लखनऊ को इस पत्र के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय लखनऊ व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(पंकज मिश्र)

प्रधान न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
लखनऊ।

आवेदन का प्रारूप (परामर्शदाता पद हेतु)

फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)
3. पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि
5. लिंग
6. वर्ग (सामान्य, पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति, जनजाति)
7. शैक्षिक योग्यता
8. अनुभव
9. स्थायी पता
10. पत्राचार का पता
11. मोबाइल नंबर
12. अन्य विवरण (यदि कोई हो)

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त विवरण एवं तथ्य सभी सच व सही हैं, कुछ झूठ नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है। यदि कोई विवरण या सूचना असत्य अथवा गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी और मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त कर दी जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का स्पष्ट नाम.....